

Rapid Fire करंट अफेयरस (2 March)

- 1 मार्च को भारतीय वदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अबु धाबी में आयोजित **ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC)** की बैठक में हस्सिया लयिया और अपने संबोधन में आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। गौरतलब है कि OIC की बैठक में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है, जबकि भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। भारत को आमंत्रित करने के वरिध में पड़ोसी देश पाकस्तान ने इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। पाकस्तान के वदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी वदेश मंत्रियों की काउंसिल में शामिल नहीं हुए। यह फैसला भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाए जाने के वरिध में लिया गया। OIC काउंसिल में 57 इस्लामिक देश सदस्य हैं और इससे पहले तक पाकस्तान के वरिध के चलते OIC की बैठक में भारत को शामिल नहीं किया जाता था।
- 2 मार्च को आयोजित **RECP (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) की सातवीं अंतर-सत्र मंत्रसित्रीय बैठक** में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। कंबोडिया के सपिम रीप में हुई इस बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड के कार्यवाहक वाणज्य मंत्री चूटीमां बुलियाप्रफासारा ने की। इस बैठक में सगिपुर में 14 नवंबर, 2018 को आयोजित RECP की बैठक के बाद हुई प्रगति, 25-26 जनवरी, 2019 को वशिष व्यापार वार्ता समिति की इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई दूसरी बैठक तथा 19 से 28 फरवरी, 2019 तक इंडोनेशिया के बाली में हुई इससे संबंधित 25वीं RECP और व्यापार वार्ता समिति की अन्य बैठकों के परिणामों की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि RECP एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है जिसके लिये 16 देशों के बीच वार्ताएं चलती रहती हैं। इन 16 देशों में आसियान के 10 देश ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सगिपुर, थाईलैंड और वयितनाम) और उनके छह FTA (मुक्त व्यापार समझौता) साझेदार देश- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि RECP वार्ताओं के छठे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। बीते पाँच वर्षों के दौरान वशिषज्ज सत्र की 24 दौर की वार्ताएँ हो चुकी हैं। इन वार्ताओं का आखिरी दौर 18-27 अक्टूबर, 2018 तक न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड में संपन्न हुआ था। RECP की अब तक छह अंतर-मंत्रसित्रीय और सात अंतर-सत्र मंत्रसित्रीय बैठकें हो चुकी हैं। छठी मंत्रसित्रीय बैठक 30-31 अगस्त 2018 को सगिपुर में और सातवीं अंतर-सत्र मंत्रसित्रीय बैठक 12-13 नवंबर, 2018 को सगिपुर में हुई थी।
- केंद्र सरकार ने **वशिष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005** के अनुच्छेद 2 की उप-धारा (V) के तहत **व्यक्ति की परिभाषा** को संशोधित कर उसके स्थान पर टरस्ट को शामिल करने के लिये इस अधिनियम में संशोधन हेतु अध्यादेश लाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था होने से किसी भी टरस्ट को वशिष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने का अधिकार मलि जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को 'व्यक्ति' के रूप में परिभाषित करने की सुविधा भी मलि जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में वशिष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी टरस्ट को SEZ में इकाई लगाने की अनुमति नहीं है। इस संशोधन से वशिष आर्थिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मलिया।
- लापता और शोषित बच्चों के बारे में ऑनलाइन जानकारी** तक पहुँच बनाने के लिये भारत और अमेरिका ने एक समझौता किया है। इस पर भारत की ओर से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और अमेरिका की ओर से नेशनल सेंटर फॉर मसिगि एंड एक्सप्लायटेड चलिडरन (NCMEC) ने हस्ताक्षर किये। यह समझौता अमेरिका के NCMEC के पास उपलब्ध एक लाख से अधिक ऑनलाइन रपिपोर्टों तक पहुँच और भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकार प्रदान करेगा। इससे अश्लील बाल-साहित्य और बच्चों के यौन उत्पीड़न संबंधी सामग्री के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के लिये एक नए तंत्र की स्थापना हो सकेगी और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। यह समझौता कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अश्लील बाल-साहित्य और बच्चों के यौन उत्पीड़न संबंधी सामग्री को साइबर स्पेस से हटाने का अधिकार प्रदान करेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने अरावली व शवालिकि पहाड़ियों में नरिमाण कार्य की अनुमति देने से संबंधित हरियाणा वधिानसभा द्वारा पारित संशोधित नए कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह संशोधित कानून की प्रति कोर्ट में पेश करे और फलिहाल इस कानून के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ने 60 हज़ार एकड़ वन क्षेत्र में नरिमाण की इज़ाजत देने वाला इस कानून को न्यायालय की अवमानना बताया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने 27 फरवरी को हरियाणा वधिानसभा में **पंजाब भूमापरिकक्षण संशोधन वधिियक, 2019** पारित कर अरावली संरक्षण क्षेत्र में अवैध नरिमाण के एक बड़े हिस्से को वैध बनाने और इस क्षेत्र में पेड़ काटने और नरिमाण करने की अनुमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के वभिन्न आदेशों के तहत अरावली के संरक्षण वन क्षेत्र में किसी भी तरह के नरिमाण या खनन के अनुमति नहीं है।
- केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में **दवियांगजन खेल-कूद केंद्र स्थापित** करने की मंजूरी दे दी है। इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा और इसका नाम दवियांगजन खेल-कूद केंद्र, ग्वालियर होगा। इस केंद्र को लगभग 170.99 करोड़ रुपए की लागत से पाँच वर्षों में नरिमिति किया जाएगा। इस केंद्र द्वारा खेल-कूद के लिये बेहतर बुनियादी ढाँचा तैयार किये जाने से वभिन्न खेलों में दवियांगजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित होगी और वे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिये अधिक सक्षम होंगे। गौरतलब है कि दवियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-30 के तहत सरकार द्वारा खेलों में दवियांगजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ उनके खेल-कूद के लिये ढाँचागत सुविधाओं के प्रावधान भी शामिल हैं।
- अजय नारायण झा** को 15वें वतित आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने शक्ति कांत दास की जगह ली है, जिन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर नियुक्त होने पर वतित आयोग की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वतित आयोग में शामिल होने से पहले 1982 बैच के मणपिर कैंडर के IAS अजय नारायण झा भारत सरकार के वतित सचिव थे। वह RBI के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में 14वें वतित आयोग के सचिव पद पर भी रह चुके हैं। वदिति हो कि राष्ट्रपति के आदेश से 5 वर्षों की अवधि यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2025 के लिये केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे का

फार्मूला तय करने के लिये 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में एन.के. सहि की अध्यक्षता में किया गया था।

- अंतरिक्ष के मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक नया मशिन लॉन्च करने की तैयारी में है। पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष की मौसम प्रणाली को समझने के लिये लगभग 4 करोड़ डॉलर की लागत वाले इस मशिन का नाम **एटमोस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट (AWE)** रखा गया है। 2022 में लॉन्च किया जा यहाँ से यह मशिन पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद प्रकाश के कलरड बैंड पर फोकस करेगा जसिं एयरग्लो कहा जाता है।
- अमेरिकी ऊर्जा वभिाग की राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई प्रक्रिया का विकास किया है जसिकी मदद से **पॉलैस्टर मैटेरियल** से बनाई जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों, फाइबर आदिको पुनःचक्रति (Recycled) किया जा सकेगा। अभी इनको एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इस प्रक्रिया की मदद से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खराब हो जाने पर उससे कई उपयोगी चीजें तैयार की जा सकेंगी। इससे प्लास्टिक के उत्पादन में कमी आएगी और महासागरों में बढ़ते जा रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या को कम करने में भी मदद मलि सकेगी। इस प्रक्रिया में PET के जीवनकाल में वृद्धि की जाती है और इसे पुनःचक्रति किया जाता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-march-2>